रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 1987/चैत्र 23, 1909
No. 190] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 1987/CHAITRA 23, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सं. 115/87 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 391(अ) .—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार जो, उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अंतर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन साधारणतया प्रचलित

थी, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची, जैसी कि वह 28 फरवरी, 1986 के पूर्व विद्यमान थी, की मद सं. 15क(1) के अन्तर्गत आने वाली जिलेटिन और सरेस फ्लेकस को, 1 मार्च, 1982 को प्रारम्भ होने वाली और 8 जुलाई 1985 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ऐसे जिलेटिन और सरेस फ्लेकस पर उद्गृहीत उत्पादशुल्क, से उच्चतर उत्पाद-शुल्क की रकम, के लिए दायी था ;

और ऐसे जिलेटिन और सरेस फ्लेकस पर विशेष उत्पाद-शुल्क की उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत समुचित विधि के अधीन उद्ग्रहीत भी नहीं किया जा रहा था ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे जिलेटिन और सरेस फ्लेकस पर संदेय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग के आधिक्य में जो उक्त अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया गया था और ऐसे जिलेटिन और सरेस फ्लेकस पर उक्त विधि के अधीन संदेय संपूर्ण विशेष उत्पाद-शुल्क को उक्त प्रथा के न होने पर ऐसे जिलेटिन और सरेस फ्लेकस की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर उक्त उत्पाद-शुल्क के उस भाग को कम उद्गृहीत किया गया था और पूर्वोक्त अवधि के दौरान, उक्त प्रथा के अनुसार उक्त विशेष उत्पाद-शुल्क को उद्गृहीत नहीं किया जा रहा था ।

[फा. सं. 93/42/85 सी एक्स 3]

ए. सी. जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th April, 1987

NOTIFICATION

No. 115/87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 391(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on gelatine and glue flakes, falling under Item No. 15A(1)

of the First Schedule to the said Act, as it existed prior to the 28th February, 1986, was liable to a higher amount of duty of excise than that was levied on such gelatine and glue flakes during the period commencing on the 1st day of March, 1982 and ending with the 8th day July, 1985 ;

And whereas the special duty of excise on such gelatine and glue flakes was also not being levied under the relevant law relating to the levy of such duty during the period aforesaid ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby directs that so much of that portion of the duty of excise payable on such gelatine and glue flakes under the said Act, in excess of that what was levied under the said Act and the whole of the special duty of excise payable under the said law on such gelatine and glue flakes, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such gelatine and glue flakes, on which that portion of the said duty of excise was being short levied and the said special duty of excise was not being levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 93|42|85-CX. 3]

S. C. JANA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987